



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1947 (श0)

(सं0 पटना 1709) पटना, सोमवार, 10 नवम्बर 2025

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
2 नवम्बर 2025

सं0-2/आ0-70-25/2025-13633/गृ0आ0- श्री अभिषेक सिंह, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़-2, पटना को मोकामा विधान सभा में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने एवं विधि-व्यवस्था संधारण करने में कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने जैसे गंभीर आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के मद्देनजर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह, सम्प्रति पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, का मुख्यालय बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के अधीन रहेगा।

3. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

5. श्री अभिषेक सिंह, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़-2, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के निमित्त आरोप ज्ञापन अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम0 एस0 रिजवानी,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1709-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>